न्यायालय भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता, खूँटी

दा०खा०अपील वाद सं० – 35/2019-2020

अपीलकर्त्ता/वादी - शीतल मुण्डा बनाम अंचल अधिकारी, खूँटी /प्रतिवादी

18.02.21

आदेश

यह वाद आवेदक शीतल पिता दशाय मुण्डा ग्राम डडगामा टोला सोसोडीह, थाना खूँटी जिला खूँटी के द्वारा अंचल अधिकारी, खूँटी के दाखिल खारिज वाद संख्या **1430 R27/2018–2019 में दिनांक 12.03.2019** को पारित आदेश के विरूद्ध अपील वाद दायर किया है। विवादित भूमि का विवरण निम्नवत् है:–

भूमि का विवरण :-

ग्राम	थाना/थाना न०	खाता सं०	प्लॉट सं0	रकबा (एकड़ में)
डडगामा	खूँटी /75	02	1302,	0.25 एकड़
			1307,	0.35
			1312	0.30
			55	0.08
			859	0.30
			865	0.47
			921	0.78
			966	0.48
			1023	0.64
			1188	0.16
			1189	0.06
			1191	0.23
			1193	0.06
			1194	0.22
			1254	0.35
			1304	0.27
			1309	0.18
			1311	0.12
			512	0.15
			514	0.64
			516	0.34
			1165	0.12
			1166	0.04
			1167	0.05
				6.62 एकड़

प्राप्त आवेदन के आलोक मे वाद दायर कर विधिवत् संबंधित पक्ष को नोटिस निर्गत कर उनसे अपने पक्ष में कारण पृच्छा एंव कागजातों/जबाब की मांग की गयी। प्रथम पक्ष के द्वारा न्यायालय में समर्पित आवेदन/एवं अपने पक्ष में कागजात दाखिल किया गया है।

प्रश्नगत् मामले में सभी संलग्न कागजातों का अवलोकन किया गया एवं पाया गया कि अंचल अधिकारी, खूँटी ने नामान्तरण मुकदमा संख्या 1430 R27/2018–2019 में दिनांक 12.03.2019 को पारित आदेश मे आवेदक पंजी ii रैयत मंगरा मुंडा के वंशज हैं। मंगरा मुण्डा के पुत्र दशाय मुण्डा आवेदक के पिता जीवित है। आवेदक को आवेदित भूमि

न्यायालय सब जज **1** खूँटी के ओरिजनल सूट नम्बर 4/2016 में दिनांक 11.02.2017 को आपसी समझौता के अनुसार दिये गये फैसले के द्वारा प्राप्त है। बंटवारानामा मान्य है परन्तु पिता के जीवित रहते पुत्रों के नाम उत्तराधिकारी दाखिल–खारिज नहीं किया जा सकता है उल्लेख कर नामान्तरण वाद अस्वीकृत किया गया है परन्तु राजस्व कर्मचारी के **मंतव्य** मे सब जज **1** खूँटी के समझौते के आधार पर किये गये फैसले तथा आवेदित भूमि पर आवेदकों का दखलकार बतलाते हुए नामान्तरण स्वीकृत करने हेतु अनुशंसित है।

उपरोक्त परिस्थिति में प्रथम पक्ष ने इस न्यायालय में अपील आवेदन के माध्यम से अंचल अधिकारी द्वारा पारित आदेश को निरस्त करने एवं अपील आवेदन को स्वीकृत करते हुए नामन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है। परन्तु यह वाद U/S 5 of the Limitation Act 1963 के अंतर्गत कालबाधित पाया गया आवेदक ने न्यायालय में Section 5 के तहत कोई आवेदन दाखिल नहीं किया है।

अतः उपरोक्त परिस्थिति में अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। आवेदक सक्षम न्यायालय मे अपील दायर करने हेतु स्वतंत्र है।

लेखापित एंव संशोधित।

18/02/21

भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता,
खूँटी।

18/02/21

भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता,
खूँटी।

Digitally signed by JITENDRA MUNDA
Date: 2021.11.29 13:20:25 +05:30
Location: 192.168.1.2